

15/12/22

पत्रावली जर्ची एवं बकील डार्थी द्वारा
उपाधित आफर जर्चना पत्र प्रस्तुत करने
पर पंजी में ली गई।

डार्थी द्वारा जर्चना पत्र प्रस्तुत कर जरिये
विद्रां खारिज किये जाने का निवेदन किया।
नौके बाद पत्रावली जरिये विद्रां खारिज
की जा चुकी है।

अतः अब जर्चना पत्र पत्रावली में कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः
जर्चना पत्र पत्रावली फंसल मुद्रा लेकर
हस्त जाहता दारिजत दफ्तर हो। निर्णय आज
दिनांक 15/12/2022 को सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी
कोरणा विभाग-बैलगा